राजस्थान सरकार

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

*****

क्रमांक प. 17(30)प्राशि / 2017

जयपुर, दिनांक 16-11-2017

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय: कक्षा 8 के लिए आयोजित होने वाली प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा 2018 हेतु आवेदन करने की आयु सीमा में शिथिलता बाबत।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक शिविरा / प्रारं / शाला दर्शन / ए / 19406 / वीसी / 2016 / 122 दिनांक 29.09.2017

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि आप द्वारा प्रेषित प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण–पत्र परीक्षा–2018 के दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 52 में विद्यार्थियों के आवेदन करने की आयु सीमा 16 वर्ष रखी गई है। उक्त आयु सीमा के प्रतिबन्ध में इस वर्ष एतत् द्वारा शिथिलता प्रदान की जाती है।

आगामी वर्षों के लिए शिक्षा पूर्णता प्रमाण–पत्र परीक्षा में विद्यार्थियों के आवेदन करने की आयु सीमा के संबंध में स्थाई समाधान हेतु प्रस्ताव इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(घनश्याम लाल शर्मा)
शासन उप सचिव

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा / प्रारं / शालादर्शन / ए / 19406 / वीसी / 2016–17 / 167 दिनांकः– 16.11.2017

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. शासन उप–सचिव, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,अजमेर
3. आयुक्त, राजस्थान प्रारं शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर।
4. निदेशक, राजस्थान राज्य, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन हैकि उक्तानुसार प्रदत्त निर्देशों की पालना करवाने का श्रम करावें।
6. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर।
7. उप निदेशक प्रारंभिक / माध्यमिक समस्त को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी को उक्तानुसार प्रदत्त निर्देशों की पालना हेतु पाबंद करावें।
8. जिला शिक्षा अधीकारी प्रारंभिक / माध्यमिक (समस्त) को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी को उक्तानुसार प्रदत्त निर्देशों की पालना हेतु पाबंद करावें।
9. प्रधानाचार्य डाईट (समस्त)
10. रक्षितपत्रावली ।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com